कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक मानता है कि उत्तम कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन तक ही सीमित नहीं है। उत्तम अभिशासन से व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण में सुविधा होती है जिससे बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रख सकता है और अपने हितधारकों को इष्टतम परिणाम दे सकता है। संक्षेप में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि करना।
- अन्य सभी हितधारकों, जैसे ग्राहक, कर्मचारी तथा समग्र समाज के हितों की रक्षा करना।
- संवाद में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित पक्षों को पूरी, सही एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- निष्पादन तथा ग्राहक सेवा संबंधी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- उच्चतम गुणवत्तापूर्ण कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना, जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय तथा संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करें तथा बैंक के निष्पादन की निगरानी करें।
- कार्यनीतिक नियंत्रण की रूपरेखा तय करना तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्टतया प्रलेखित पारदर्शी-प्रबंधन-प्रक्रिया स्थापित करना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएँ, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों से भी निर्देशित होती है।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल वे मामले अपवाद हैं जहाँ इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955) से हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड अपने अधिकार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं विनियम 1955 के प्रावधानों से प्राप्त करता है और उन्हीं के अनुपालन में अपने कार्य करता है। अन्य बातों के साथ इसकी प्रमुख भूमिका में निम्नांकित शामिल हैं ;

- बैंक के जोखिम संरचना पर नजर रखना;
- बैंक के व्यवसाय और नियंत्रण प्रणाली की सम्पूर्ण निगरानी करना;
- दक्ष प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- बैंक के हितधारकों के लाभ में अधिकाधिक वृद्धि करना।

केंद्रीय बोर्ड की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत नियुक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ख) के अंतर्गत चार प्रबंध निदेशक भी इस बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 को बोर्ड में सात अन्य निदेशक थे, जो प्रौद्योगिकी, लेखा-शास्त्र, वित्त, अर्थशास्त्र तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। इस तरह बोर्ड में अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशकों सहित पांच पूर्णकालिक निदेशक कार्यरत हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 को केंद्रीय बोर्ड का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

- तीन निदेशक, धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित,
- दो निदेशक धारा 19 (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित,
- एक निदेशक (भारत सरकार का अधिकारी), धारा 19 (ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित, और
- एक निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक का पदाधिकारी) धारा 19 (च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित।

निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के 17 (I) विनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है, विभिन्न बोर्डों/ समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक के केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की पंद्रह बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है :

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 15

बैठकों की तारीखें : 17.05.2016, 27.05.2016, 30.06.2016, 26.07.2016, 12.08.2016, 18.08.2016, 29.09.2016, 27.10.2016, 11.11.2016, 28.12.2016, 25.01.2017, 10.02.2017, 15.03.2017, 24.03.2017 और 30.03.2017

श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष और श्री पी.के. गुप्ता, प्रबंध निदेशक (सीएंडआर) एवं डॉ. पुष्पेन्द्र राय, निदेशक सभी 15 बैठकों में उपस्थित रहे।

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष	15	15
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	15	14
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	15	13
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	15	15
श्री वी. जी कन्नन, एमडी - एएंडएस (31.07.2016 तक)	04	04
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-एएंडएस (09.08.2016 से)	11	11
श्री संजीव मल्होत्रा	15	14
श्री एम डी माल्या	15	13
श्री सुनील मेहता (15.03.2017 तक)	13	13
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	15	10
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	06	03
डॉ. गिरीश के. आहूजा	15	08
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	15	15
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	15	02
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (27.09.2016 तक)	06	03
श्री चंदन सिन्हा (28.09.2016 से)	09	06

केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती) और भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है ।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 52

क्र. सं.	निदेशक	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष	52	48
2	श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	52	46
3	श्री रजनीश कुमार एमडी - एनबीजी	52	47
4	श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	52	47
5	श्री वी. जी. कन्नन, एमडी - एएंडएस (31.07.2016 तक)	17	14
6	श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी-एएंडएस (09.08.2016 से)	34	32
7	श्री संजीव मल्होत्रा	52	33
8	श्री एम.डी. माल्या	52	37
9	श्री सुनील मेहता (15.03.2017 तक)	50	46
10	श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	52	39
11	डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (27.09.2016 तक)	25	0
12	श्री चंदन सिन्हा (28.09.2016 से)	27	17
निदेशकगण, जो सामान्यता वहाँ के निवासी नहीं हैं, जिस स्थान पर बैठकें हुई, परंतु बैठक के दिन उस स्थान पर उपस्थित थे, जहाँ बैठक हुई:			
13	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	21	01
14	डॉ. गिरीश के. आहूजा	52	02
15	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	52	19

बोर्ड स्तरीय अन्य समितियाँ:

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 के प्रावधानों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड स्तरीय अन्य ग्यारह समितियाँ गठित की हैं। ये हैं: बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, हितधारक संबंध समिति, बड़ी राशि (₹ 5 करोड़ तथा उससे अधिक राशि) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति, वसूली निगरानी के लिए बोर्ड की समिति और इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति ओर बोर्ड की नामांकन समिति। ये समितियाँ बोर्ड स्तरीय कार्यवाही में कारगर पेशेवराना सहयोग प्रदान करती हैं जिनके प्रमुख क्षेत्र हैं - लेखा-परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा एवं ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कार्यपालक निदेशकों को मानदेय का भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की निगरानी और इरादतन चूककर्ता/असहयोगी घोषित ऋणियों से संबंधित समीक्षा करना और निदेशक पद हेतु नामांकन भरने वाला प्रत्याशी 'उपयुक्त एवं ठीक' है इसकी जांच करना । भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को मानदेय के भुगतान के अनुमोदन हेतु पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित होती है। सामान्यतया तिमाही अंतराल पर नीतिगत मामलों और/या क्षेत्र-विशेष के निष्पादन की समीक्षा के लिए अन्य समितियों की बैठकें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षा कैलेन्डर के अनुसार समय समय पर आयोजित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की सेवाओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं। नामांकन समिति का गठन जरूरत के अनुसार निदेशक पद हेतु नामांकन भरने वाले शेयरधारक प्रत्याशियों के उपयुक्त एवं ठीक, होने की स्थिति की जांच एवं पुष्टि करने के लिए किया जाता हैं। इन समितियों की बैठकों में हुई चर्चा के कार्य-विवरण और कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन 27 जुलाई 1994 को और पिछली बार इसका पुनर्गठन 30 मार्च 2017 को किया गया था। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन यह देखने के लिए करती है कि कही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/विनिर्देशों का उल्लंघन तो नहीं हुआ।

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के कार्य

(क) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक के समस्त लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन हेतु दिशानिर्देश देती है तथा उन पर नजर भी रखती है। समस्त लेखा-परीक्षा कार्य से आशय बैंक के भीतर आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण की व्यवस्था, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह समिति बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और समय-समय पर उनके निष्पादन की समीक्षा भी करती है।

(ख) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति बैंक की वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा संपरीक्षा नीति और लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा करती है ताकि और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(ग) यह समिति बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली, उसकी गुणवत्ता एव अनुवर्तन की दृष्टि से प्रभावकारिता की समीक्षा करती है। यह समिति निम्नलिखित के अनुवर्तन पर भी विशेष ध्यान देती है:

- अपने ग्राहक को जानिए - धन-शोधन निवारण (केवाईसी-एएमएल) दिशानिर्देश;
- आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र;
- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 अनुपालन;

(घ) यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्टें प्राप्त करती है तथा उनकी समीक्षा करती है।

(ङ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण और लांग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्टों एवं अन्य आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी विषयों पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति अनुवर्ती कार्रवाई करती है। वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व यह समिति बाह्य लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा एक औपचारिक 'ऑडिट चार्टर' अथवा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' अनुमोदित किया गया है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। पिछली बार 18 दिसंबर 2014 को इसमें संशोधन किया गया था।

संरचना एवं वर्ष 2016-17 के दौरान उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सात सदस्य हैं, जिनमें से दो पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकारी निदेशक (भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती) तथा तीन गैर-सरकारी, गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की तेरह बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 13

बैठकों की तिथियाँ : 22.04.2016, 26.05.2016, 29.06.2016, 27.07.2016, 11.08.2016, 18.08.2016, 21.09.2016, 20.10.2016, 10.11.2016, 22.12.2016, 11.01.2017, 09.02.2017 और 15.03.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या
श्री सुनील मेहता, समिति के अध्यक्ष (15.03.2017 तक)	13	13
डॉ. गिरीश के. आहूजा, समिति के सदस्य (29.03.2017 तक) एवं समिति के अध्यक्ष (30.03.2017 से)	13	08
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	13	11
श्री रजनीश कुमार, एमडी एनबीजी (वैकल्पिक सदस्य)	03	03
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	13	12
श्री एम. डी. माल्या	13	10
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	13	09
सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	13	0
डॉ. ऊर्जित आर. पटेल (27.09.2016 तक)	07	3
श्री चंदन सिन्हा (28.09.2016 से)	06	5

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन 23 मार्च 2004 को किया गया था। यह समिति ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के लिए समन्वित जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी करने हेतु गठित की गई है। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में न्यूनतम चार और प्रत्येक तिमाही में एक बैठक होती है। वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 23.06.2016, 14.09.2016, 16.12.2016 और 07.03.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	04	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	04
श्री एम. डी. माल्या	04	02
श्री सुनील मेहता	04	03
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	04	04
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	01	0
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04

हितधारक संबंध समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 20 के अनुसरण में शेयरधारकों एवं निवेशकों से शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलने, बॉन्डों पर ब्याज/घोषित लाभांश न मिलने जैसी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारक संबंध समिति (जो पहले बोर्ड की शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति (एसआईजीसीबी) के नाम से जानी जाती थी) का गठन 30 जनवरी 2001 को किया गया था। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें सात सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की संरचना और इसकी भूमिका सेबी विनियमों के अनुरूप है । समिति की वर्ष 2016-17 के दौरान चार बैठकें हुईं, जिनमें शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई।

वर्ष 2016-17 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 13.04.2016, 20.07.2016, 20.10.2016 और 17.01.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री एम. डी. माल्या - समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी (वैकल्पिक सदस्य)	02	02
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	04	03
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी - एएंडएस (31.07.2016 तक)	02	01
श्री दिनेश कुमार खारा, एमडी - एएंडएस (09.08.2016 से)	02	02
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन (12.08.2016 से)	02	02
डॉ. गिरीश के. आहूजा	04	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय (12.08.2016 से)	02	01

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान): **749**

शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप समाधान न हुआ हो ऐसी शिकायतों की संख्या **निरंक**

लंबित शिकायतों की संख्या* (न्यायालय के विचाराधीन शिकायतों के अलावा) **निरंक**

अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम : श्री संजय अभयंकर, उपाध्यक्ष अनुपालन (कंपनी सचिव)

बड़ी राशि (₹ 5 करोड़ और अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति:

बड़ी राशि (₹ 5 करोड़ और अधिक) की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि के धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का प्रयोजन है - प्रणालीगत खामियों (हों तो) तथा धोखाधड़ी के मामलों का और ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जाँच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय शुरू कराना। इस समिति को पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित किया गया था। इसमें सात सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान एस सी बी एम एफ की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 19.05.2016, 24.08.2016, 23.11.2016 और 17.02.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	04	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	02
श्री एम.डी. माल्या	04	02
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	04	02
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	01	0
डॉ. गिरीश के. आहूजा	04	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय (12.08.2016 से)	03	02

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था। बैंक द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर उत्तरोत्तर सुधार लाना इसका उद्देश्य है। यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 11.05.2016, 02.08.2016, 02.11.2016, 03.02.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	04	04
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा, (12.08.2016 से)	02	0
श्री एम.डी. माल्या	04	03
श्री सुनील मेहता	04	03
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	04	03
श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी (28.08.2016 तक)	02	0
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना-प्रौद्योगिकी पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया था। दिनांक 24 अक्तूबर 2011 से समिति का नाम बदलकर बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति कर दिया गया है। समिति की बैंक के प्रौद्योगिकीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :

i) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीति विषयक प्रलेख अनुमोदित करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया अपनाई है;

ii) यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक योजना व्यवसाय के मॉडल और उसकी दिशा की पूरक है;

iii) यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी निवेश के जोखिमों और लाभों के बीच संतुलन है और बजट स्वीकार्य है;

iv) प्रबंधन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना तथा बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी हेतु प्रदान की जाने वाली कुल राशि की निगरानी करना; और

v) सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन और व्यवसाय सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसाय संवर्धन में योगदान (अर्थात वचनबद्धता के अनुसार प्रदर्शन) की समीक्षा करना।

यह समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इसमें छह सदस्य हैं। समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 06.05.2016, 05.07.2016, 02.12.2016 और 20.02.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन, समिति के अध्यक्ष	04	04
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी	04	04
श्री पी.के. गुप्ता, एमडी - सी एंड आर	04	04
श्री संजीव मल्होत्रा	04	01
श्री एम.डी. माल्या	04	02
श्री सुनील मेहता	04	04

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 24 सितंबर 2014 को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई। इसमें छह सदस्य हैं। समिति में शामिल वरिष्ठ प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान समिति की चार बैठकें हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआरसी बैठकों की तारीखें तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तिथियाँ : 13.04.2016, 20.07.2016, 14.10.2016 और 17.01.2017

निदेशक का नाम	नामांकन/चयन के बाद/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित थे
श्री बी. श्रीराम, एमडी - सीबीजी (वैकल्पिक सदस्य)	01	01
श्री वी.जी. कन्नन, एमडी - एएंडएस (31.07.2016 तक)	02	0
श्री रजनीश कुमार, एमडी - एनबीजी	04	03
श्री दिनेश कु. खारा, एमडी - एएंडएस (09.08.2016 से)	02	01
श्री संजीव मल्होत्रा	04	04
श्री एम.डी. माल्या (12.08.2016 से)	02	01
श्री सुनील मेहता	04	04
श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन	04	03
डॉ. पुष्पेन्द्र राय	04	04

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में सूचित योजना के अनुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु 22 मार्च 2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन पिछली बार 30 मार्च 2017 को किया गया था। इस समिति में चार सदस्य हैं जिनमें (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक (2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (3) दो गैर कार्यपालक निदेशक श्री एम. डी. माल्या और श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन शामिल हैं। यह समिति पूर्णकालिक निदेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की संवीक्षा कर उसका भुगतान करने की संस्तुति करती है।

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति

भारत सरकार की सलाह पर 20 दिसंबर 2012 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली पर नजर रखने के लिए बोर्ड की ऋण निगरानी समिति गठित की गई थी। समिति पिछली बार 30 मार्च 2017 को पुनर्गठित की गई थी। समिति में छह सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक और सरकार के नामिती निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं जिनमें एनपीए प्रबंधन और बैंक के बड़ी राशि के एनपीए खातों की समीक्षा की गई।

इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति

इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया गया था। प्रबंध निदेशक-सीबीजी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और कोई दो अन्य स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों का पता लगाने के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (एक ऐसी समिति जिसमें उप प्रबंध निदेशक और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों के बयान की पड़ताल और बयान को दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने के बारे में पुष्टि करती है।

इस समिति की बैठक वर्ष 2016-17 के दौरान चार बार हुई।

बोर्ड की नामांकन समिति:

शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की `उपयुक्त एवं ठीक' स्थिति का निर्णय करने के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक, जब-जब भी आवश्यक हो, तीन स्वतंत्र निदेशकों की एक नामांकन समिति गठित करता है।

समिति पिछली बार 15.03.2017 को पुनर्गठित की गई थी।

स्थानीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक केन्द्र में जहाँ बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) हो स्थानीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्य कर रही हैं। स्थानीय बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कार्यों को निष्पादित और विवेकाधिकारों का उपयोग करते हैं। दिनांक 31 मार्च 2017 को दो स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड और शेष बारह स्थानीय प्रधान कार्यालयों में स्थानीय बोर्ड की समितियाँ कार्यरत थीं। स्थानीय बोर्डों/स्थानीय बोर्डों की समितियों की बैठकों के कार्य-विवरण और कार्यवाही केन्द्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बैठक-शुल्क

पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक एवं बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में सहभागिता करने हेतु गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला बैठक-शुल्क भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के अनुरूप है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में सहभागिता करने हेतु बैठक-शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। दिनांक 20 जुलाई 2015 से केंद्रीय बोर्ड की बैठक में सहभागिता के लिए ₹ 20,000 का और बोर्ड स्तरीय अन्य समितियों की बैठकों में सहभागिता के लिए ₹10,000/- का बैठक-शुल्क दिया जाता है, किंतु बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशकों को बैठक-शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक -V में दी गई है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान गतिविधियां

1. बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकनः बोर्ड अभिशासन को निरंतर बेहतर बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक द्वारा एक प्रतिष्ठित परामर्शदाता संगठन की सेवाएं ली गईं। इस संगठन ने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तरीय समितियों और पूरे केंद्रीय बोर्ड की निष्पादन के पैरामीटर निर्धारित करने में सहायता देने के साथ साथ समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने में भी सहायता की। मूल्यांकन के पैरामीटर और समग्र प्रक्रिया सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 तथा नए सेबी बोर्ड मूल्यांकन दिशानिर्देश नोट 2017 के प्रावधानों के अनुरूप ही थी। केंद्रीय बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशकों, अध्यक्ष और पूरे केंद्रीय बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की 30 मार्च 2017 को अलग से आयोजित बैठक में किया गया। स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड स्तरीय समितियों के निष्पादन का मूल्यांकन केंद्रीय बोर्ड द्वारा भी किया गया।

मूल्यांकन प्रक्रिया ने बैंक के अभिशासन मूल्यों में निदेशक बोर्ड के विश्वास और निदेशक बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड एवं प्रबंधन के बीच मौजूदा सहयोग की पुष्टि की है।

2. बैंकों के बोर्डों से अभिशासन के बारे में उत्तरोत्तर की जा रही भिन्न भिन्न प्रकार की अपेक्षाओं और हमारे बैंक की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका को देखते हुए बैंक के अल्पावधि से मध्यावधि रोडमैप पर केंद्रित एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला (13 फरवरी 2017 को) `मंथन-2017' नाम से बोर्ड के लिए मुंबई में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य हालिया बदलावों को समझने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने तथा प्रमुख कार्य बिंदुओं को अंतिम रूप देने में बैंक की सहायता करना था। इस कार्यशाला में विभिन्न चुनौतियों, अवसरों और सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों वाले बैंकिंग परिवेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर कई प्रकार के मस्तिष्क मंथन सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला के दौरान बोर्ड द्वारा कई कार्यनीतियों, व्यवसाय संवर्धन के लक्ष्यों एवं प्रमुख वित्तीय पैरामीटरों का निर्धारण किया गया। साथ ही, प्रत्येक व्यवसाय समूह को ऐसी कार्य योजनाएं लक्ष्य सहित तैयार करके कार्यशाला में आने के लिए कहा गया था जिनकी प्रगति की बाद में समीक्षा की जा सके। एक विस्तृत कार्य योजना कतिपय समय सीमाओं के साथ और जिम्मेदारी निर्वाह तथा विभिन्न महत्वपूर्ण शुरुआतों को लागू करने की स्थिति पर प्रगति रिपोर्ट केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

3. कॉरपोरेट अभिशासन , जोखिम प्रबंधन, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण आदि कार्यों में निदेशक की बेहतर समझ विकसित करने के प्रयास में बैंक द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की गईं:

(i) दो गैर-कार्यपालक निदेशकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशकों के लिए 29 से 30 नवंबर 2016 को बेंगलूरु में उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमर्शियल बैंकों के समाधान और पर्यवेक्षण से संबंधित नवीनतम गतिविधियों की जानकारी देना, गैर-कार्यपालक निदेशकों में बैंकों की कार्य प्रणाली से जुड़े विभिन्न जोखिमों के प्रति जागरुकता विकसित करने, उनकी कार्य-दक्षता बढ़ाने तथा व्यवसाय कार्यनीतियों और जोखिम प्रबंधन, परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन,

बासेल III, जोखिम आधारित पर्यवेक्षणों, कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में सुग्राही बनाना था।

(ii) जोखिम रेटिंग प्रक्रिया और जोखिम आकलन रिपोर्ट पर केंद्रीय बोर्ड को एक प्रस्तुतीकरण कु. मीना हेमचंद्रा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया ।

(iii) कॉरपोरेट गवर्नेंस को सशक्त करने लिए बैंक द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत कॉरपोरेट अभिशासन पर एक प्रस्तुतीकरण श्री एम. दामोदरन, भूतपूर्व चेयरमैन सेबी द्वारा केंद्रीय बोर्ड के समक्ष किया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड की संरचनाओं, विभिन्न बोर्डों द्वारा अपनाए जा रहे सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की मुख्य मुख्य बातों को शामिल किया गया था।

(iv) साइबर सुरक्षा जागरुकता पर एक प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था मेसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा की गई थी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ तेजी से बदलती बैंकिंग, बैंकिंग में नवोन्मेषन के लिए टेक्नोलोजी, नई चुनौतियों, सुरक्षा हमलों में तेजी, बोर्ड आदि के लिए सुरक्षा कार्य सूची आदि का समावेश किया गया है। निदेशक जागरुकता कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.sbi.co.in में कॉरपोरेट गवर्नेंस लिंक पर उपलब्ध है।

वर्ष 2016-17 में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशकों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान

नाम	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	बकाया	अन्य	योग
अध्यक्ष श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	3135000.00	-245100.00	0.00	6000.00	2895900.00
श्री बी. श्रीराम	2997405.00	-238399.50		22000.00	2781005.50
श्री वी. जी. कण्णन (31.07.2016 तक)	313295.00	405616.50	51684.00	0.00	770595.50
श्री रजनीश कुमार	2997405.00	-238399.50		14000.00	2773005.50
श्री पी. के. गुप्ता	2854500.00	-232563.00		2000.00	2623937.00
श्री दिनेश कुमार खारा	1590193.53	31804.16		0.00	1621997.69

वार्षिक महासभा में उपस्थिति

दिनांक 30 जून 2016 को आयोजित वर्ष 2015-16 की वार्षिक महासभा में 8 निदेशक उपस्थित रहे। ये हैं श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, श्री बी. श्रीराम, श्री वी.जी. कण्णन, श्री रजनीश कुमार, श्री पी. के. गुप्ता, श्री एम. डी. माल्या, श्री सुनील मेहता और डॉ. पुष्पेन्द्र राय। वार्षिक महासभा (2014-15) 2 जुलाई 2015 को और वार्षिक महासभा (2013-14) 3 जुलाई 2014 को आयोजित हुई थी। ये तीनों वार्षिक महासभाएं वाई. बी. चव्हाण केंद्र, मुंबई में अपराह्न 3.00 बजे आयोजित की गईं और पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। पिछले वर्ष के दौरान पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों या संबंधियों आदि से वस्तुतः ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जो वृहत् रूप में बैंक के हितों के विरुद्ध जाता हो।

2. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक या पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन किया है। पिछले तीन वर्षों में इनके द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

3. कर्मचारियों द्वारा सेवा-नियमों के विरुद्ध किए जा रहे किसी भी अनैतिक कार्य या व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए विसल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और "स्टेट बैंक टाइम्स" पर प्रदर्शित की गई है। विसल ब्लोअर के हितों की रक्षा / पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किया गया है। यह नीति बैंक के सभी स्टाफ के लिए आंतरिक रिपोर्टिंग व्यवस्था के रूप में उपलब्ध है। वे चाहें तो बैंक में अपने सहकर्मियों, वरिष्ठों/वरीय किसी अनैतिक, भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश करने के लिए विसल ब्लोअर की भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। पर, ग्राहकों द्वारा की जाने वाली पीआईडीपीआई शिकायत का निपटान भारत सरकार के वर्ष 2004 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को इन शिकायतों के निपटान के संबंध में नामित किया गया है।

4. संबद्ध पक्ष लेनदेन के महत्व संबंधी नीति और महत्वपूर्ण अनुषंगी निर्धारण नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर कॉरपोरेट अभिशासन नीतियाँ लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

5. बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (b) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में दी गई कारपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं का हर प्रकार से पालन उस सीमा तक किया है जहाँ तक इस खंड की आवश्यकताएँ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के विरुद्ध न हों।

संप्रेषण के साधन

बैंक की दृढ़ मान्यता है कि बैंक की गतिविधियों, निष्पादन और उत्पादों में की गई पहल संबंधी पूरी जानकारी तक सभी हितधारकों की पहुँच होनी चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट (www. sbi.co.in). पर भी प्रदर्शित किए गए थे। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्टें, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों का विवरण भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रति वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुति और मीडिया के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें अनेक निवेश विश्लेषकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक महासभा	:	दिनांक 27 जून 2017, समय : अपराह्न 3.00 बजे स्थान : वाई.बी चव्हाण, केंद्र मुंबई
वित्तीय कैलेंडर	:	01.04.2016 से 31.03.2017
बहीबंदी की तारीख	:	30.05.2017 से 03.06.2017
लाभांश	:	₹ 2.60 प्रति शेयर
भुगतान तिथि	:	16 जून 2017
शेयर बाजार जिनमें सूचीकरण किया गया है	:	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई। जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में सूचीकृत हैं। लंदन शेयरबाजार (एलएसई) सहित सभी शेयर बाजारों को आज तक का सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई) एसबीआईएन (एनएसई) सीयूएसआईपी यूएस 856552203 (एलएसई)
शेयर हस्तांतरण व्यवस्था	:	भौतिक शेयरों की हस्तांतरण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी कर शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों को लौटा दिए जाते है। तिमाही शेयर हस्तांतरण लेखा-परीक्षा तथा शेयर पूँजी लेखा-परीक्षा का समाधान एक स्वतंत्र कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम तथा उनकी यूनिट का पता	:	मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशल सर्विसेस लिमिटेड प्लॉट बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093.
बोर्ड फोन नंबर	:	022-6671 2001 से 10 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 6.00 बजे तक)
सीधे नंबर	:	022-6671 2198 /66712199
ई-मेल पता	:	sbi_eq@dfssl.com
फैक्स	:	(022) 6671 2204
पत्र-व्यवहार के लिए पता	:	भारतीय स्टेट बैंक, शेयर एवं बॉण्ड विभाग, कॉरपोरेट 14 वां तल, केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
टेलिफोन नंबर	:	(022) 2274 0841 से 2274 0848
फैक्स	:	(022) 2285 5348
ई-मेल पता	:	gm.snb@sbi.co.in / investor.complaints@sbi.co.in
ऋणपत्र न्यासियों का नाम और संपर्क का पूरा ब्योरा (भारतीय ₹ में जारी पूंजी लिखत)	:	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कामानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776

ई-पहल : सेबी विनियम के अनुसार जिन शेयरधारकों के ई-मेल पते उपलब्ध हैं, उन्हें हम वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करते हैं।

निवेशकों की अपेक्षाओं की पूर्ति: निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बैंक में मुंबई में एक संपूर्ण शेयर एवं बॉन्ड विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर कार्यालय के माध्यम से, तत्काल निपटाई जाती हैं एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजी वृद्धि

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में, बैंक ने निम्नानुसार ईक्विटी पूंजी जुटाई है:

1.वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹5680,99,99,766.00 (रुपये पांच हजार छह सौ अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार सात सौ छियासठ मात्र) की आवेदन राशि प्राप्त की है, जिसमें शेयर प्रीमियम के रूप में ₹56,59,92,72,366.00 (रुपये पांच हजार छह सौ उनसाठ करोड़ बानवे लाख बहत्तर हजार तीन सौ छियासठ मात्र) शामिल हैं जो भारत सरकार को आबंटित प्रति ₹ 1 के 21,07,27,400 ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के तहत प्राप्त हुई है। ईक्विटी शेयरों का आबंटन दिनांक 20.01.2017 को किया गया था।

हम यह भी बता दें हैं कि बैंक ने ₹ 2,100.00 करोड़ के बासेल-3 अनुपालक टियर 1 बॉण्ड 06.09.2016 को, ₹ 2,500.00 करोड़ के 27.09.2016 और ₹ 2,500.00 करोड़ के 25.10.2016 को जारी एवं आबंटित किए हैं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में हैं। इस लिखत को केयर रेटिंग्स द्वारा ''CARE AA+ और सीआरआईएसआईएल लिमिटेड द्वारा ''CRISIL AA+/Stable रेटिंग दी गई है। आपके बैंक ने अमेरिकी $300 मिलियन के बासेल-3 अनुपालक टियर 1 बांड दिनांक 22.09.2016 को जारी किए ।

बकाया वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर)

वर्ष 1996 में जीडीआर जारी करते समय, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो-तरफा समरूपता की अनुमति नहीं दी गई थी, अर्थात यदि जीडीआर-धारक व्यक्ति भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयर प्राप्त करना चाहता हो, तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयर में रूपांतरित करना होता था परंतु इसके विपरीत प्रक्रिया की अनुमति नहीं थी। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने एडीआर/जीडीआर की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दे दी। बैंक ने अपने जीडीआर कार्यक्रम की दो-तरफा समरूपता की अनुमति दी है।

31.03.2017 को बैंक के पास 1,27,01,630 जीडीआर से संबंधित 12,70,16,300 शेयर थे।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयर और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,016	2,43,870
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	10	1,600
वर्ष के दौरान दावारहित उचंत खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए, उन शेयरधारकों की संख्या	10	1,600
वर्ष के अंत में उचंत खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1006	2,42,270

ऐसे शेयरों के वास्तविक दावेदारों द्वारा दावा किए जाने तक इन शेयरों के मताधिकार पर रोक लगा दी गई।

लाभांश की परंपरा/लाभांश वितरण नीति

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्बाध रूप से अपने शेयरधारकों को पिछले कई वर्षों से निरंतर लाभांश का भुगतान करने की विशिष्ट परंपरा रही है।

शेयर कीमत में उतार चढ़ाव

शेयर कीमत और बीएसई सेंसेक्स/एनएसई निफ्टी में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। बैंक के शेयरों का 31.03.2017 को बीएसई सेंसेक्स में बाजार पूंजीकरण भार 3.4% और एनएसई निफ्टी में 2.73% रहा।

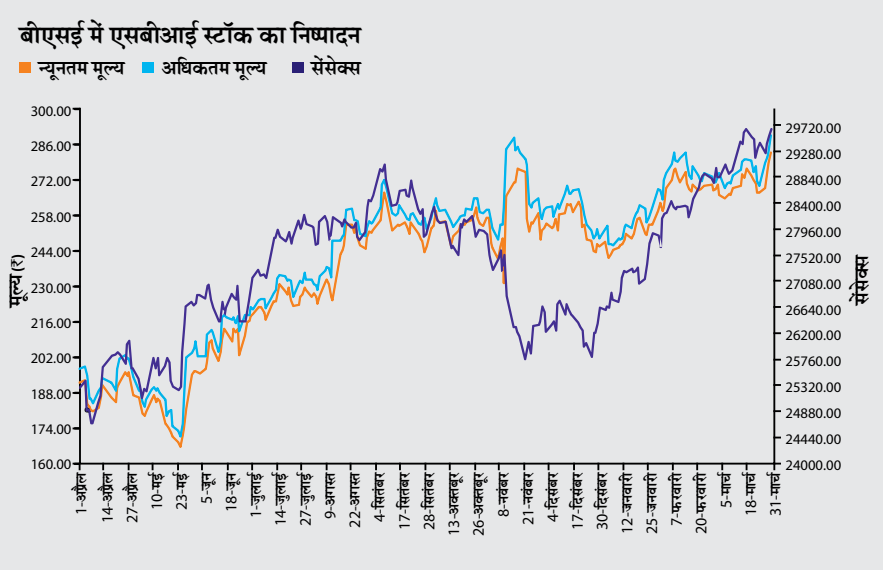

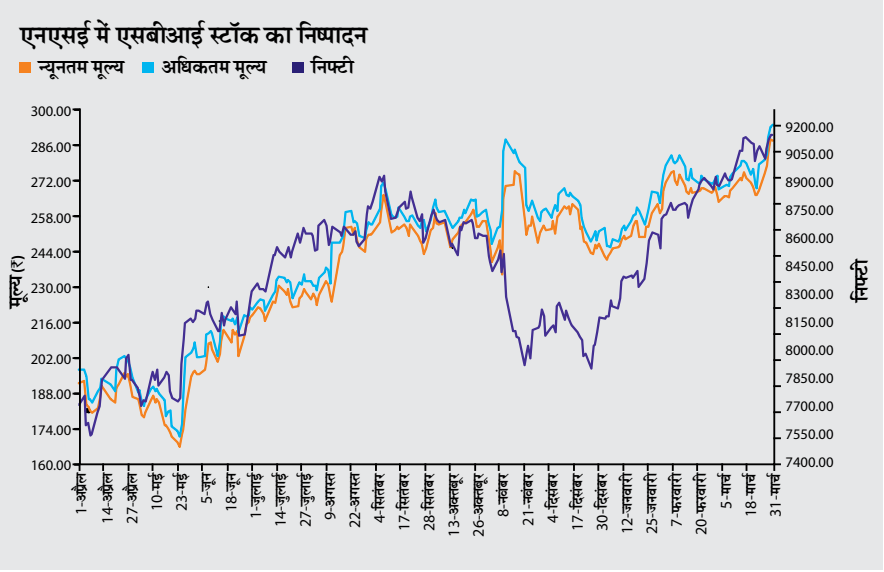

तालिका : बाजार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई (रुपया)		एनएसई (रुपया)		एलएसई (जीडीआर) (यू एस $)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-16	202.50	180.35	202.55	180.20	30.25	27.50
मई-16	205.60	166.60	205.70	166.40	30.15	17.00
जून-16	221.80	195.40	221.90	195.40	31.80	29.00
जुलाई-16	235.00	216.55	235.15	216.50	34.20	32.10
अगस्त-16	260.50	223.20	260.40	223.20	37.65	33.40
सितंबर-16	271.55	243.50	271.60	243.50	40.00	36.75
अक्तू-16	264.75	246.10	264.90	245.85	39.10	37.10
नवंबर-16	288.50	231.00	288.80	235.00	41.20	36.15
दिसंबर-16	269.45	243.10	269.35	243.10	39.50	36.65
जनवरी-17	288.25	241.10	268.20	241.10	39.60	35.90
फरवरी-17	282.45	261.00	282.80	261.60	41.30	40.00
मार्च-17	294.25	264.50	295.00	264.25	44.75	39.75

बही मूल्य प्रति शेयर ₹ 190.97, जोड़ा गया आर्थिक मूल्य (ईवीए) ₹ 3,874 करोड़

31.03.2017 को शेयरधारिता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	61.23
2	अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी कॉरपोरेट निकाय/अनिवासी भारतीय/वैश्विक निक्षेपागार रसीदें)	11.17
3	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	8.29
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	2.70
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनियाँ आदि	10.00
6	निवासी व्यक्तियों सहित अन्य	6.61
कुल		**100.00**

31.03.2017 को बैंक के दस शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	नाम	कुल ईक्विटी में शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	61.23
2	भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	8.82
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (म्यूचुअल फंड)	2.38
4	दि बैंक आफ न्यूयार्क मेलॉन (हमारे जीडीआर के डिपॉजिटरी के रूप में)	1.59
5	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. (म्यूचुअल फंड)	1.29
6	एसबीआई म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	1.13
7	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (म्यूचुअल फंड)	0.76
8	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क. लि. (निजी कॉरपोरेट निकाय)	0.75
9	फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मयूचुअल फंड(म्यूचुअल फंड)	0.62
10	भारतीय साधारण बीमा निगम (वित्तीय संस्थान)	0.52

शेयरों को डीमैट में रूपांतरित करना और चलनिधि: बैंक के ईक्विटी शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्यतया इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही की जाती है।
31.03.2017 को कुल ईक्विटी पूंजी का 98.92% भाग अर्थात 788,75,73,568 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं।

विवरण	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों का %
एनएसडीएल	903573	2825667613	35.44
सीडीएसएल	487170	5061905955	63.48
कागज रूप में	172637	85930874	1.08
कुल	1563380	7973504442	100.00

31 मार्च 2017 को संवितरण अनुसूची (अंकित मूल्य ₹ 1 प्रति शेयर)

शेयरों की सं. की सीमा	कुल शेयरधारक	कुल शेयरधारकों का%	₹ में कुल धारिता	कुल पूंजी का %
1-5000	1556213	99.542	436,937,395.00	5.480
5001-10000	3833	0.245	27,285,006.00	0.342
10001-20000	1394	0.089	19,478,179.00	0.244
20001-30000	426	0.027	10,553,185.00	0.132
30001-40000	190	0.012	6,724,049.00	0.084
40001-50000	122	0.008	5,598,056.00	0.070
50001-100000	288	0.018	20,559,522.00	0.258
100001- से अधिक	914	0.059	7,446,369,050.00	93.390

पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव गतिविधियां

बैंक इस समय ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी) करेंसी डेरीवेटिव्स और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरीवेटिव्स सौदे करता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले करेंसी डेरीवेटिव्स सौदों में वायदा, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी स्वैप्स और करेंसी ऑप्शंस सौदे होते हैं। बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का उपयोग ट्रेडिंग और तुलन-पत्र मदों, दोनों के लिए किया जाता है। बैंक के ग्राहकों को अपने जोखिम से बचाव करने के लिए बचाव उत्पाद ऑफर किए जाते हैं और ऐसे जोखिम की सुरक्षा के लिए बैंक डेरीवेटिव्स संविदाएं भी करता है। बैंक यूएसडी/आईएनआर में ऑप्शन बुक भी संचालित करता है, जिसका विभिन्न प्रकार की हानि सीमाओं और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। 31 मार्च 2017 को, हानि सीमाओं या ग्रीक सीमाओं मे किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ।

डेरीवेटिव्स लेनदेनों में निम्नलिखित प्रकार के दो जोखिम रहते हैं:

i) बाजार जोखिम, अर्थात वह संभाव्य हानि, जो बैंकों की विनिमय दर में प्रतिकूल संचालन के कारण हो सकती है, और

ii) ऋण जोखिम, अर्थात वह संभाव्य हानि, जो प्रतिपक्षकारों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने के कारण बैंक को हो सकती है।

डेरीवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'डेरीवेटिव्स नीति' में बाजार जोखिम मानदंड (कट-लॉस ट्रिगर्स, ऑपन पोजीशन लिमिट, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) और ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, रिलेशनशिप की अवधि, सीमाएं और ग्राहक के लिए उपयुक्त एवं उचित नीति (सीएएस) आदि) के बारे में उल्लेख किया गया है। इस नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ ही डेरीवेटिव्स लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण रखा जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक पक्षकार के साथ इंटरनेशनल स्वैप एवं डेरीवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) करार करता है।

ग्राहक लेनदेनों के कारण बैंक के सामने विदेशी मुद्रा जोखिम एवं पण्य जोखिम आती है। जहां तक पण्य जोखिम का संबंध है, बैंक केवल स्वर्ण बैंकिंग व्यवसाय करता है और ये केवल ग्राहकों की ओर से ही किया जाता है। निर्धारित जोखिम सीमाओं के अंदर जोखिम का प्रबंध करने के लिए बैंक में निर्धारित नीतियाँ और प्रणालियां एवं कार्यविधियां लागू हैं। रक्षात्मक परिचालन एवं बचाव लेनदेन करने के लिए बैंक के पास विश्व श्रेणी का डीलिंग रूम है, जिसका प्रबंध सुप्रशिक्षित एवं अनुभवी डीलरों द्वारा किया जाता है।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव्स लेनदेनों से जुड़े हुए बाजार जोखिम की पहचान, मापन और निगरानी करता है। बैंक ऑफिस परिचालनों का प्रबंध जीएमयू, कोलकाता द्वारा किया जाता है।

अनुलग्नक I

दिनांक 31 मार्च 2017 को गैर-कार्यपालक निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री संजीव मल्होत्रा

(जन्म दिनांक : 1 अक्तूबर 1951)

श्री मल्होत्रा को वैश्विक बैंकिंग एवं वित्त में वरिष्ठ पदों पर 42 वर्ष का अनुभव है। जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट और निवेश बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त एवं सूक्ष्म उद्यम ऋणान्वयन, निजी ईक्विटी उनके अनुभव के क्षेत्र हैं।

श्री एम. डी. माल्या

(जन्म दिनांक : 9 नवंबर 1952)

श्री माल्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाकर बैंक की कायापलट कर दी थी।

श्री माल्या मई 2008 से नवंबर 2012 तक बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। उनके प्रेरक नेतृत्व एवं नवोन्मेषी कार्यनीतिक पहल से बैंक ने निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त की, जिससे बैंक को अनेक सम्मान एवं पुरस्कार मिले और व्यापक पहचान प्राप्त हुई।

श्री दीपक ईश्वरचंद्र अमीन

(जन्म दिनांक : 20 अप्रैल 1966)

श्री अमीन आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा यूएसए के रोड आइलैंड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एम.एस. उपाधि प्राप्त हैं। श्री अमीन सीटल और भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सलाहकार कंपनी कोविलिक्स, इंक (एमटेक आइएनसी द्वारा अधिग्रहित) के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं। इससे पहले श्री अमीन वीजंगल इनकॉरपोरेशन, वेब सेवा सॉफ्टवेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे हैं जिसे स्ट्रीमसर्व, इनकॉरपोरेशन ने अधिग्रहीत किया था। श्री अमीन ने माइक्रोसॉफ्ट में कई वर्षों तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेटवर्किंग टीमों में लीड इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वे माइक्रोसॉफ्ट, यूएसए में मूल इंटरनेट ब्राउजर टीम में वरिष्ठ इंजीनियर रहे हैं। श्री अमीन नोबल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुहम्मद यूनस की टेक्नॉलॉजी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ग्रामीण फाउंडेशन में भी शामिल हैं जो विश्व की निर्धनतम महिलाओं के वित्तीय समावेशन के प्रसार के लिए प्रगामी वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

(जन्म दिनांक : 29 मई 1946)

डॉ. गिरीश कुमार आहूजा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। डॉ. आहूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकादमिक सदस्य हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कराधान, संयुक्त उद्यम आदि में परामर्श का 45 वर्ष का अनुभव है। प्रत्यक्ष करों का उन्हें विशेष ज्ञान है। वे वित्तीय क्षेत्र सुधारों - पूंजी बाजार कुशलता तथा संविभाग निवेश में डॉक्टरेट हैं।

डॉ. पुष्पेन्द्र राय

(जन्म दिनांक : 02 जून 1953)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 28 जनवरी 2016 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक डॉ. पुष्पेन्द्र राय को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कार्य का लगभग 37 वर्ष का अनुभव है।

वे 21 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे। इस दौरान वे नीति निर्माण, कार्यक्रम और बजट की तैयारी, कार्यान्वयन कार्यनीतियों का निर्धारण, कार्यान्वयन की निगरानी, ग्रामीण और औद्योगिक विकास एजेंसियों जैसे अनेक प्रकार के संस्थानों के स्टाफ के निष्पादन का मूल्यांकन, बिजली उत्पादन और वितरण विभाग, पेट्रोलियम कंपनियों और बौद्धिक संपदा कार्यालयों से जुड़े रहे। उन्होंने यूएनडीपी/डब्ल्यूआइपीओ के राष्ट्रीय परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, विदेशी निवेश उन्नयन परिषद् के सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के कार्यपालक निदेशक, डब्ल्यूटीओ/डब्ल्यूआइपीओ में राष्ट्रीय वार्ताकार और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है।

तदनंतर, डॉ. राय ने वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा (संयुक्त राष्ट्र संघ) में 16 वर्ष तक कार्य किया। वहाँ तकनीकी सहयोग बढ़ाने, बौद्धिक संपदा के आर्थिक पहलुओं का उन्नयन और आस्ति सृजन, विकास एजेंडा प्रक्रिया का नेतृत्व और सिंगापुर में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता जैसे अनेक कार्य संपन्न किए।

डॉ. राय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएच.डी. और हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। विश्व के विभिन्न भागों में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए हैं।

सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

(जन्म दिनांकः 27 अगस्त 1957)

सुश्री अंजुली चिब दुग्गल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 3 सितंबर 2015 से केन्द्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। सुश्री अंजुली चिब दुग्गल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में सचिव हैं।

श्री चंदन सिन्हा

(जन्म दिनांकः 15 अगस्त 1957)

श्री चंदन सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत 28 सितंबर 2016 से केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। श्री चंदन सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के उचित अनुपालन में 31.03.2017 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा लेखा-परीक्षा/हितधारक समिति(यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्योरा

क्र.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	बैंक सहित कंपनियों की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	अध्यक्ष नं.5, डुनेडिन, जे.एम. मेहता मार्ग मुंबई-400 006	07.10.2013	अध्यक्ष : 04 निदेशक : 01
2	श्री बी. श्रीराम	प्रबंध निदेशक एम-2 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड मुंबई-400 006	17.07.2014	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
3	श्री राजनीश कुमार	प्रबंध निदेशक डी-10 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	26.05.2015	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
4	श्री पी. के. गुप्ता	प्रबंध निदेशक एम-1, किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	01.11.2015	निदेशक :01 समिति सदस्य : 01
5	श्री दिनेश के. खारा	प्रबंध निदेशक डी-11 किन्नेलन टावर्स, 100ए, नेपियन सी रोड, मुंबई-400 006	09.08.2016	निदेशक : 04 समिति सदस्य : 01
6	श्री संजीव मल्होत्रा	सनदी लेखाकार 6, मोटाभाई मेंशन, 130, महर्षि कर्वे मार्ग चर्चगेट, मुंबई - 400020	26.06.2014	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
7	श्री एम.डी माल्या	सेवानिवृत्त बैंक कार्यपालक सी-601 अशोक टॉवर्स डॉ. एस.एस. राव मार्ग, एम.जी. हॉस्पिटल के सामने परेल, मुंबई - 400012	26.06.2014	निदेशक : 07 समिति अध्यक्ष: 02 समिति सदस्य : 04
8	श्री दीपक आई. अमीन	सलाहकार 104 नील कंठ तीर्थ छठी रोड, चेम्बूर मुंबई - 400071	26.06.2014	निदेशक :01 समिति सदस्य : 02
9	डॉ. गिरीश के. आहूजा	सनदी लेखाकार मेसर्स जी. के. आहूजा एण्ड कंपनी ई-6ए, एलजीएफ कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली 110048	28.01.2016	निदेशक :02 समिति अध्यक्ष : 02 समिति सदस्य : 01
10	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	विकास विशेषज्ञ (भूतपूर्व राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सरकारी नौकरशाह) 50, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार नई दिल्ली-110057	28.01,2016	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
11	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल भारत सरकार नामिती	सचिव, (वित्तीय सेवाएं) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (बैंकिंग प्रभाग) जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली - 110001	03.09.2015	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01
12	श्री चंदन सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती	कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई - 400001	28.09.2016	निदेशक : 01 समिति सदस्य : 01

अनुलग्नक II ए

उन कंपनियों की कुल संख्या जिनमें 31.03.2017 को बोर्ड-निदेशक /बोर्ड स्तरीय समितियों के निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं

1. श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य

क्र.सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	सदस्य/निदेशक/अध्यक्ष	समिति का नाम
1	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति- **अध्यक्ष** वसूली निगरानी बोर्ड समिति- **अध्यक्ष**
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	अध्यक्ष	
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	अध्यक्ष	
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	अध्यक्ष	
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	अध्यक्ष	
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	अध्यक्ष	
7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	अध्यक्ष	
8	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	अध्यक्ष	
9	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	
10	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	अध्यक्ष	
11	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	अध्यक्ष	
12	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	अध्यक्ष	
13	एसबीआई डीएफएचआई लि.	अध्यक्ष	
14	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	अध्यक्ष	
15	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	
16	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	निदेशक	
17	भारतीय बैंक संघ	उपाध्यक्ष	
18	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	एनआईबीएम गवर्निंग बोर्ड	एनआईबीएम वित्त समिति - **अध्यक्ष** एनआईबीएम स्थायी समिति **सदस्य**
19	भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान	सदस्य-गवर्निंग कॉउसिंल	
20	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	सदस्य-गवर्निंग बोर्ड	
21	आईआईटी खड़गपुर	सदस्य-गवर्निंग बोर्ड	
22	फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफआईसीसी)	-	बैंकिंग एण्ड फाइनैंशियल इंस्टिट्यूट 2015 समिति- **अध्यक्ष**
23	आईआईएम-सम्बलपुर	अध्यक्ष-गवर्निंग बोर्ड	

2. श्री बी. श्रीराम

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **अध्यक्ष** इरादतन चूककर्ताओं/असहयोगी ऋणियों की पहचान समिति - **अध्यक्ष**

3. श्री रजनीश कुमार

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति- **सदस्य** हितधारक संबंध समिति - **सदस्य** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **अध्यक्ष**
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	
3	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	
4	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	
5	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रा. लि.	निदेशक	

4. श्री पी. के. गुप्ता

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य**

5. श्री दिनेश कुमार खारा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की हितधारक संबंध समिति - **सदस्य** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	निदेशक	निदेशक समिति - ¬¸™¬¡¸
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	निदेशक	निदेशक समिति - **सदस्य**
4	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	निदेशक	निदेशक समिति - **सदस्य**
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	निदेशक	निदेशक समिति - **सदस्य**
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	निदेशक	निदेशक समिति - **सदस्य**
7	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** निदेशकों की समिति - **अध्यक्ष** एचआर समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
8	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज प्रा. लि.	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
9	एसबीआई कैप वैंचर्स लि.	निदेशक	
10	एसबीआई कैप (यू.के.) लि.	निदेशक	
11	एसबीआई कैप सिंगापुर लि.	निदेशक	

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** एचआर समिति - **सदस्य** जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
13	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बैंक एश्योरेंस समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** निवेश समिति - **सदस्य** पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - **सदस्य** जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** प्रौद्योगिकी समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
15	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** निवेश समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य** पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** बोर्ड की लाभ से संबंधित समिति - **सदस्य**
16	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	निदेशक	एचआर उप-समिति - **सदस्य**
17	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य**
18	एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विस प्रा. लि.	निदेशक	सलाहकारी समिति - **सदस्य**
19	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	कार्यपालक समिति - **सदस्य**

6. श्री संजीव मल्होत्रा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
2	कोटक एएमसी	निदेशक	-
3	फेयर फर्स्ट इंश्योरेंस लि. (श्रीलंका)	निदेशक	-

7. श्री एम. डी. माल्या

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** हितधारक संबंध समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **सदस्य** बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
2	इंडिया इनफ्राडेब्ट लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की ऋण एवं जोखिम समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की अभिशासन, पारिश्रमिक एवं नियुक्ति समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
3	नितेश इस्टेट्स लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
4	ईमामी लिमिटेड	निदेशक	-
5	आईएफएमआर रूरल चैनल एण्ड सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
6	सेवन आइलैंड शिपिंग लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
7	पुडुआरू फाइनैंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
8	इंटरग्लोब एवियशन लि.	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** मुआवजा समिति - **सदस्य**
9	कॉफी डे एंटरप्राइजेज लि.	निदेशक	-
10	माइलस्टोन कैपिटल एडवाइजर्स लि.	निदेशक	

8. श्री दीपक आई. अमीन

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - **सदस्य** बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **सदस्य** हितधारक संबंध समिति - **अध्यक्ष** बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**
2	रेडियन एडवाइजर्ज प्रा. लि.	निदेशक	-
3	फाइव वैलेजेज एंटरप्राइजेज एलएलपी (भागीदारी फर्म)	भागीदार	

9. डॉ. गिरीश कुमार आहूजा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **अध्यक्ष**
2	फ्लेअर पब्लिकेशन्स प्रा. लि.	निदेशक	-
3	देवयानी इंटरनेशनल लि.	निदेशक	-
4	वरूण बेवरेज्स लि.	निदेशक	लेखा-परीक्षा समिति - **अध्यक्ष** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
5	देवयानी फूड स्ट्रीट प्रा. लि.	निदेशक	-

10. डॉ. पुष्पेन्द्र राय

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - **सदस्य** बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी करने वाली बोर्ड की विशेष समिति - **सदस्य** बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति - **सदस्य** हितधारक संबंध समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - **सदस्य**

11. सुश्री अंजुली चिब दुग्गल

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
1	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - **सदस्य** बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - **सदस्य** बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - **सदस्य**
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	निदेशक	-
3	नैशनल फाइनैंशियल होल्डिंग कंपनी लि.	निदेशक	-

12. श्री चंदन सिन्हा

क्र. सं.	कंपनी/संस्था/सोसाइटी का नाम	निदेशक	समिति(यों) का/के नाम अध्यक्ष/सदस्य
१	भारतीय रिज़र्व बैंक	कार्यपालक निदेशक	-
२	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - ¬¸™¬¡¸ बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति - ¬¸™¬¡¸ बोर्ड की पारिश्रमिक समिति - ¬¸™¬¡¸ बोर्ड की नामांकन समिति - ¬¸™¬¡¸

(नोट : केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी निदेशक या अन्य कोई निदेशक शामिल हैं जो सामान्यतः भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं, या उस समय उपस्थित रहते हैं जहाँ एसबीआई जनरल विनियम के विनियम 46 के अनुसार ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है।)

अनुलग्नक - III

31.03.2017 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1	श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य	2,000
2	श्री बी. श्रीराम	500
3	श्री रजनीश कुमार	कुछ नहीं
4	श्री पी. के. गुप्ता	4,900
5	श्री दिनेश कुमार खारा	3,100
6	श्री संजीव मल्होत्रा	32,926
7	श्री एम. डी. माल्या	5,000
8	श्री दीपक आई. अमीन	5,000
9	डॉ. गिरीश के. आहूजा	2,000
10	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	कुछ नहीं
11	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	कुछ नहीं
12	श्री चंदन सिन्हा	500

अनुलग्नक - IV

वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्र.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठकें (₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1	श्री संजीव मल्होत्रा	280000	450000	730000
2	श्री एम. डी. माल्या	260000	660000	920000
3	श्री सुनील मेहता	260000	840000	1100000
4	श्री दीपक आई. अमीन	200000	680000	880000
5	श्री त्रिभुवन नाथ चतुर्वेदी	60000	10000	70000
6	डॉ. गिरीश के. आहूजा	160000	170000	330000
7	डॉ. पुष्पेन्द्र राय	300000	360000	660000

अनुलग्नक - V

भारतीय स्टेट बैंक
घोषणा
बैंक की आचार संहिता (2016-17) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करती हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2016-17 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

प्रकटीकरण अपेक्षाएं
(सेबी सूचीकरण दायित्व विनियम, 2015 का विनियम 27)

1. **दि बोर्ड** - चूंकि बैंक में एक कार्यपालक अध्यक्ष है, इसलिए यह लागू नहीं है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** - बैंक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में अपने अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रकाशित करता है। अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। तथापि, बैंक प्रत्येक शेयरधारक के पते पर अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम नहीं भेजता है।
3. **लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित विकल्प** - 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई लेखा-परीक्षा संशोधन नहीं है।
4. **अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अलग पद** - अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है।
5. **आंतरिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टिंग** - आंतरिक लेखा-परीक्षक (उप प्रबंध निदेशक - निरीक्षण एवं प्रबंधन लेखा-परीक्षा) सीधे बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने, वर्मा एण्ड वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट (फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 004532S), और भारतीय स्टेट बैंक, इसका कॉरपोरेट केन्द्र स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड़, मुंबई, महाराष्ट्र, पिन-400 021 में स्थित है, के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15(2) में यथा संदर्भित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों में निर्धारित की गई है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। हमारी जाँच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार की गई है और यह कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरण पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है, उसके अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त यथा प्रयोज्य सूचीकरण करार में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का, सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करते हुए अनुपालन किया है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में आश्वासन है, न ही उस कुशलता अथवा प्रभावकारिता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन वर्ग ने बैंक के कारोबार का संचालन किया है।

कृते एवं की ओर से
वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 004532S

चेरीयन के. बेबी
भागीदार
सदस्यता सं. 16043

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19 मई 2017

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट के बारे में:

बैंक की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है और यह 4थी रिपोर्ट है। सेबी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 दिनांक 4 नवंबर 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसार उन कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट को शामिल करना अनिवार्य है, जिन्होंने बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण (प्रति वित्त वर्ष 31 मार्च को परिकलन किया जाता है) के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में स्थान पाया है। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट समाविष्ट है, को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर लिंक इनवेस्टर रिलेशन्स पर उपलब्ध है। कोई भी शेयरधारक जो इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमें इस पते पर लिख सकते हैं या ई-मेल कर सकते हैं: महाप्रबंधक शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड मुंबई - 400 021. ई-मेल पता : gm.snb@sbi.co.in